

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

दयाराम पुत्र स्व. कृष्णलाल जाति जाट निवासी रतनीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर वगैरह।

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी रतनीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर वगैरह।

किस्म मुकदमा : 75 भू-राजस्व अधिनियम

अपील संख्या.....46...../2023

GCMS No. 2023/.....45

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नो व तारीख अहकाम जो हुक्म मुकम की तारीख में जारी हुए
12/6/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर के आदेश दिनांक 15.03.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम पक्षकार होने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 व 2 एवं गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की संयुक्त खाते की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही चक भंवरिया के खसरा नम्बर 53 तादादी 11.38 हैक्टर व अपीलांट संख्या 3 की कृषि भूमि इसी चक खसरा संख्या 49 तादादी 5.82 हैक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 7 को नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई तामिल अपीलांट पर हुई। जैर अपील आदेश पारित करने से पुर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2023 की आड़ में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अपीलांट की कृषि भूमि दो हिस्से में विभक्त हो जाएगी। कृषि कार्य करने में भी असुविधा होगी व अपीलांट व उसके परिवार की आजिविका का एक मात्र साधन</p>	



अभिभाषक आयुक्त
बीकानेर

संयुक्त खाते की उक्त वादग्रस्त भूमि है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2023 को खारिज फरमाया जावे।

हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिभाषक अपीलांत की बहस एवं अपील मीमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2023 अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बिना बिना ही जारी हुआ है। अतः अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2023 अपील अपीलांत की हद तक निरस्त कर अपील इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।



(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर